न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी, श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस

अपील संख्या 33/2017

रणवीर पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवसी चक 196 हैड तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व, सूरतगढ़।

——रेस्पोंडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1975
विरूद्ध आदेश आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ दिनांक 26.02.2015

उपस्थितिः–

श्री संजय सैन, अभिभाषक अपीलांट
श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय :– दिनांक :– 24.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता के नाम से चक 1 एसपीडी के प. नं. 69/324 के कि. नं. 1 ता 25 के 24.10 बीघा भूमि आरजी काश्त पर आवंटन थी, जिसका दिनांक 26.1.1972 को पुख्ता आवंटन कर दिया । बाद में

24/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

शिकायत में यह रकबा खारिज कर दिया । जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी द्वारा खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील की जो दिनांक 10.04.2008 को स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.06.2008 को पत्रावली पेश में ली एवं सुनवाई करने के पश्चात् दिनांक 26.02.2015 को प्रार्थी को उसके पिता की खारिजशुदा भूमि के बराबर अन्य रकबा बालिग पुत्रों नियमों में आवंटन किए जाने हेतु सक्षम घोषित किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उसे बिना सुने पारित किया गया है। अपीलांट ने अपनी अपील में यह अनुतोष चाहा है कि अपीलाधीन आदेश में यह संशोधन किया जावे कि पूर्व में पारित निर्णय में अपीलांट को अन्य रकबा आवंटन करने तक विवादित भूमि से बेदखल करने तक का निर्णय जोड़ने का आदेश दिया जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त होने पर बिना किसी देरी के अपील पेश करदी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को विवादित भूमि के बराबर अन्य रकबा बालिग पुत्र

24/1/12
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

नियमों में आवंटन किए जाने हेतु सक्षम घोषित किया है जिसके संबंध में अपीलांट आवंटन अधिकारी से अनुतोष प्राप्त कर सकता है । अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 26.02.2015 के विरूद्ध 17.03.2017 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किए हैं उनका खण्डन रेस्पो. द्वारा नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण हाजा में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुख्ता आवंटन के लिए हकदार माना है एवं पूर्व में आवंटित भूमि के बजाए अन्यत्र भूमि आवंटित किया जाना अपेक्षित था जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में क्रियात्मक आदेश में लिखा है कि " प्रार्थी को उसके पिता डूंगरराम की खारिजशुदा 24.18 बीघा कमाण्ड भूमि के बराबर अन्य रकबा बालिग पुत्र नियमों में आवंटन किए जाने हेतु सक्षम घोषित किया जाता है।" इस प्रकरण के आदेश के बाद आवंटन नहीं करना तथा खारिजशुदा कृषि भूमि के बारे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लेना न केवल आपत्तिजनक है अपितु नियम विरूद्ध भी है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2015 में संशोधन किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के

24/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट को उसकी पात्रतानुसार एक माह आवंटन प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् अपीलांट को अन्य रकबा आवंटन करे तथा रकबा आवंटन किये जाने से पूर्व अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि से अपीलांट को बेदखल न किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर